जारीकर्ता के हस्ताक्षर एव सील

निविदा कम संख्या.........................

निविदा फार्म का मूल्य 500 रू0

फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अर्ह ऋणी कृषकों को फसल ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र के वितरण को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु।

निविदा फार्म (तकनीकी विड)

1.	फर्म का पूरा नाम व पता	
2.	जी0एस0टी0 में पंजीयन संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करे।)	
3.	आयकर में पंजीयन संख्या (पिछले दो वित्तीय वर्ष में भरे गये आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करे)	
4.	फर्म का पूरा पता– (जहॉ स्थित हो)	
5.	फर्म के प्रोपराइटर/प्रबन्धक का पूरा नाम, पिता का नाम (पूर्व विवरण सहित)	
6.	अर्नेस्ट मनी जमा करने का विवरण (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला कृषि अधिकारी, बलिया के पक्ष में देय)	
7.	संबंधित कार्य करने का अनुभव	

संलग्नको की संख्या–

दिनांक–

पूर्ण हस्ताक्षर

प्रोपराइटर/प्रबन्धक का पूरा नाम–
फर्म का नाम–
फर्म की मुहर–

निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

निविदा कम संख्या.......................... जारीकर्ता के हस्ताक्षर एव सील

फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अर्ह ऋणी कृषकों को फसल ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र के वितरण को सकुशल सम्पन्न कराने हेत आयोजित कम्प में जलपान/सूक्ष्म जलपान/पेयजल आपूर्ति हेतु निविदा की प्रस्तावित दरे।

कम सं0	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण	प्रस्तावित दरें प्रति नग/वर्ग फुट		
		इकाई	अंको में	शंब्दों में
1	पण्डाल (सामान्य)			
2	पण्डाल (वाटरप्रूफ)			
3	मैट			
4	कालीन			
5	प्लास्टिक की कुर्सी			
6	वी0आई0पी0 कुर्सी			
7	सोफा सेट			
8	सेण्ट्रल टेबल			
9	मेज, कवर सहित			
10	मंच			
11	पोडियम			
12	मंच कम्पलीट (डायस, पुष्प सज्जा, पोडियम सहित)			
13	फर्राटा पंखा			
14	सीलिंग फैन			
15	कूलर			
16	ए0सी0 2 टन			
17	माइक सिस्टम कम्पलीट			
18	साउण्ड बाक्स			
19	बड़ा एल0ई0डी0 टी0बी0			
20	जनरेटर 5 के0वी0ए0			
21	जनरेटर 10 के0वि0ए0			
22	सुक्ष्म जलपान पैकेट (छः पूड़ी, सब्जी, अचार, एक मिठाई, एक फल, 250 एम0एल0 पानी सील्ड ग्लास) डिब्बा बन्द			
23	सुक्ष्म जलपान पैकेट (एक मिठाई, एक फल, एक पेटीज, विस्कुट, एक छोटा नमकीन पैकेट, 250 एम0एल0 पानी सील्ड ग्लास) डिब्बा बन्द			
24	पेयजल (250 मि0ली0 सील्ड ग्लास)			

धरोहर धनराशि का विवरण बैक ड्राफ्ट/बैक सावधि जमा/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या............................. दिनांक................................धनराशि रू0.....................................

घोषण पत्र

मै प्रमाणित करता हूँ कि मै निविदा की शर्ते को पूर्ण करने के लिए सहमत हूँ जो इस फर्म के पृष्ठ भाग में अंकित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर..

फर्म का नाम..

पता...

मोबाइल नम्बर..

अल्पकालिक निविदा की नियम एवं शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के उन्नयन व सतत् विकास हेतु जनपद में फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अर्ह ऋणी कृषकों को फसल ऋण मोचन योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर एक दिवसीय कैम्प आयोजित किया जाना है। जनपद स्तरीय कैम्प में लगभग 5000 अर्ह ऋणी कृषकों को तथा तहसील स्तरीय कैम्प में लगभग 2000 अर्ह ऋणी कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। कैम्प हेतु टेन्ट, फर्नीचर, मंच, बैरिकेटिंग, साउण्ड सिस्टम, पंखा/कुलर/एसी, आदि सामाग्रियों के किराये पर आपूर्ति करने तथा विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी एवं स्वलपाहार से सम्बन्धित सामग्री आदि की वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्यवस्था हेतु दिनॉक 30.08.2017 को अपरान्ह 02:00 बजे तक इच्छुक पंजीकृत कॉनट्रेक्टर से मुहरबन्द निविदिएं आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनॉक 30.08.2017 को ही अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, बलिया के कक्ष में निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी। सामग्रियों की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए।

निविदा फार्म एवं निविदा की विस्तृत शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्द्ध है जो किसी भी कार्य दिवस में रूपये 500 का नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो जिला कृषि अधिकारी, बलिया के पक्ष में देय होगा, जमा करके दिनॉक 30.08.2017 की अपरान्ह 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 50,000 बैंक ड्राफ्ट, जिला कृषि अधिकारी, बलिया के पक्ष में देय, तकनीकी विड के साथ संलग्न कर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग लिफाफों में बन्द कर एकल बड़े लिफाफे के माध्यम से जिला कृषि अधिकारी कार्यलय में अपरान्ह 02:00 बजे तक डालना होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा। सफल निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में कार्य की लागत का 10 प्रतिशत जिला कृषि अधिकारी, बलिया के पक्ष में देय राष्ट्रीय बचतपत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में देना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, विकास भवन, बलिया अथवा जनपद के वेवसाइट www.ballia.nic.in पर प्राप्त कर सकते है। उक्त निविदा को कभी भी निविदा समिति के अध्यक्ष द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। निविदा की शर्ते निम्नलिखित है–

1. निविदा दाता की फर्म नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके आभाव में निविदा स्वीकार नही होगी।
2. निविदा जमा करने के लिए अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपया 50,000.00 (पचास हजार मात्र) होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला कृषि अधिकारी, बलिया के पक्ष में देय, तकनीकी विड के साथ संलग्न कर बन्धक रखना होगा। इसके आभाव में निविदा स्वीकार नही होगा।
3. निविदा के अर्न्तत चाही गई सामाग्रियों तथा सेवाओं की संख्या जो घट बढ सकती है के लिए निविदा प्रारूप में दिये गये मानक इकाई में ही दरे दिया जाना अनिवार्य है। उसके किसी भी प्रकार के विचलन/भ्रामक होने पर निविदा स्वीकार्य नही होगा।
4. निर्धारित निविदा फार्म पूर्ण रूपेण भरकर फर्म के मालिक/प्रोपराईटर का पूरा नाम पता एवं हस्ताक्षर दिनॉक तथा फर्म की मुहर सहित जमा किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा फर्म के साथ किसी प्रकार की शर्त या विकल्प का उल्लेख स्वीकार्य नही हेगा।
5. कैम्प के लिए निर्धारित स्थल की जानकारी करना वहॉ आवश्यक सामग्री ले जाकर लगाना तथा निर्धारित कार्य के लिए नियत तिथि को समय से पूर्ण करना जैसा सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश/निर्देश दिया जाय, के अनुसार कार्य करना होगा। अलग से कोई ढुलाई भाडा देय नहीं होगा।

6. पण्डाल के कपडें साफ सुथरे, नवीन, कुर्सियॉ और सोफे अच्छी दशा में साफ स्वच्छ होने चाहिए।
7. मैटिंग नई व अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए।
8. माइक सिस्टम अच्छा हो तथा किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नही होनी चाहिए।
9. सूक्ष्म जलपान शुद्ध, ताजा एवं पैकिंग में होना चाहिए।
10. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदा दाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
11. निविदा में मांगी गई सामग्रियों के अतिरिक्त यदि किसी समाग्री की आवश्यकता पडेगी तो उसकी आपूर्ति भी ठेकेदार कों करना होगा।
12. निविदा फार्म के दो भाग तकनीकी विड तथा वित्तीय विड में भरना होगा। तकनीकी विड में निविदा सम्बधित शर्तो की पूर्ति का विवरण तथा, अभिलेखीय साक्ष्य होगे। वित्तीय विड मे ली जानें वाली सामग्रियो की दरे मानक ईकाइ में बिना कोई परिवर्तन किये भरा जायेगा। निविदा खोलते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड खोला जायेगा तथा शर्तो की पूर्ति होने पर वित्तीय विड खोला जायेगा। तकनीकी विड की शर्ते पूरी न होने की दशा में निविदा स्वयं निरस्त माना जाएगा।
13. फसल ऋण मोचन योजना प्रमाण पत्र वितरण के कार्य की महता को देखते हुए निविदा देने वाले फर्म को इस कार्य को किये जाने का अनुभव रखना अनिवार्य है इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
14. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म को नियमानुसार जमानत की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को जिला कृषि अधिकारी कार्यालय बलिया सें नियमानुसार अनुबन्ध करना होगा जिसके शर्तो का उल्लघन होने पर या कार्य में विफल होने, की दशा मे, बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरे को सौप दिया जायेगा और उक्त के आधार पर निविदा को तत्काल एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था कराने पर आने वाले अधिक व्यय भार के अन्तर की धनराशि की वसूली भी राजस्व बकाये की भाति सम्बधित फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।
16. कार्य संतोषजनक न होने पर जिला कृषि अधिकारी बलिया को यह अधिकार होगा की युक्ति युक्त कटौती उस कार्य के देय धनराशि के विरूद्ध कर सकेंगे। इस बाबत कोई दावा मान्य नही होगा।
17. निविदा मे दी गयी दरो के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई मांगी गयी दर या धनराशि देय नही होगा।
18. जिस निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जाएगी, के विल भुगतान के समय समस्त देय करो की कटौती नियमानुसार किया जाएगा।
19. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म/ठेकेदार को उसके द्वारा किये कार्यो के लिए उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा भुगतान हेतु नियमानुसार बजट आवंटन उपल्बध होने पर किया जायेगा।
20. निविदा संम्बधित किसी भी विवाद की स्थिति मे समक्ष न्यायलय बलिया ही मान्य होगा।
21. किसी एक या समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

(जे0पी0यादव)
जिला कृषि अधिकारी,
बलिया।